फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक :- 28.08.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत माफिया अनुपम दुबे व उसके साथी बालकिशन उर्फ शिशु को आजीवन कारावास की सजा व भारी जुर्मानें से दण्डित कराने पर पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ द्वारा अभियोजन एवं पुलिस टीम को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था। मु0अ0सं0 333/1995 वाद संख्या 384/2021 धारा 147/148/302/149 भादवि0 कोतवाली फतेहगढ जनपद फतेहगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.माफिया अनुपम दुबे व अन्य साथी शिशु उर्फ बालकिशन को पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ के नेतृत्व में फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार/कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए *दिनांक 27.08.2025 को मा0 न्यायालय ई0सी0 एक्ट कोर्ट फरूखाबाद द्वारा अभियुक्तगणों को दोषसिध्द कर प्रत्येक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 03 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।*

इस सराहनीय उपलब्धि के लिए **पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्रीमती आरती सिंह व क्षेत्राधिकारी लाइन श्री अजय कुमार वर्मा** द्वारा अभियोजन/पुलिस टीम को **प्रशस्ति पत्र** प्रदान कर सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम के कार्य की भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकरण मे कुशल पैरवी कर यह सिद्ध किया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यकुशलता केवल कानून-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण तक ही सीमित नहीं है, अपितु परस्पर समन्वय व सहयोग से हम दुर्दान्त अपराधियों को उनकी स्वाभाविक परिणिति तक पहुँचा सकते हैं। अभियोजन व पुलिस टीम की कुशल पैरवी से अन्य दुर्दान्त अपराधियों मे भय व्याप्त हुआ है।

इस उत्कृष्ट कार्यप्रणाली ने न केवल पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में सहायता की है, बल्कि कानून व्यवस्था में आमजनमानस का विश्वास और मजबूत किया है, कि वह भय मुक्त होकर निडरता के साथ अपराधियों के विरूद्ध अपनी शिकायत को पुलिस के पास पहुँचा सकते हैं। इस प्रकार की पेशेवर प्रतिबद्धता एवं समर्पण से ही समाज में न्याय की स्थापना और अपराधियों में भय संभव हो सकता है।

अभियोजन टीम में नियुक्त अधिकारीगणों के नाम-

01. जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सुदेश कुमार
02. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री तेज सिंह
03. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री हरिनाथ सिंह
04. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना
05. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार

जनपदीय पुलिस टीम में नियुक्त अधि0/कर्म0गणों के नाम-

01. निरीक्षक आमोद कुमार सिंह (प्रभारी माफिया सेल)
02. निरीक्षक रनविजय सिंह (प्रभारी कोतवाली फतेहगढ़)
03. निरीक्षक गोविन्द हरि वर्मा(वाचक पुलिस अधीक्षक)
04. उ0नि0 बलराज भाटी(पूर्व थानाध्यक्ष मऊदरवाजा)
05. हे0का0 शैलेन्द्र सिंह(पैरोकार फतेहगढ़)
06. हे0का श्याम सिंह(पैरोकार फतेहगढ़)
07. हे0का0 अजय कुमार (मॉनिटरिंग सेल)
08. हे0का0 सचेन्द्र सिंह(सर्विलांस सेल)
09. का0 गौरव यादव(अभियोजन कार्यालय)

मीडिया सेल फतेहगढ़।

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली कायमगंज

दि0-28.08.2025

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुकगण 01- सहोरन पुत्र पुत्तू लाल बाथम (2)- रामवरन पुत्र पुत्तू लाल बाथम निवासीगण टिलिया मुडौर थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ मु0अ0स0 219/2002 वाद संख्या 219/2002 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना कायमगंज जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए ***दिनांक 28.08.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल गैगेस्टर एक्ट कोर्ट फर्रूखाबाद द्वारा अभियुक्तगण को दोषसिध्द कर प्रत्येक को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 05 -05 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।***

एडीजीसी- श्री शैलेश कुमार

को0मो0 हे0का0 राजेश कुमार

पैरोकार विवेक कुमार